

वशिव प्रेस स्वतंत्रता दविस 2021

चर्चा में क्यों?

प्रत्येक वर्ष वशिव भर में 3 मई को 'वशिव प्रेस स्वतंत्रता दविस' (WPF) मनाया जाता है।

- यह दविस 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (UNESCO) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- इस वर्ष वशिव प्रेस स्वतंत्रता दविस की थीम 'इनफॉर्मेशन एज़ ए पब्लिक गुड' है।

प्रमुख बडि

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1991 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सफारिश के बाद वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वशिव प्रेस स्वतंत्रता दविस की घोषणा की थी।
- यह दविस वर्ष 1991 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई 'वडिहोक' (Windhoek) घोषणा को भी चहिनति करता है।
 - वर्ष 1991 की 'वडिहोक घोषणा' एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से संबंधित है।

WPF 2021 की तीन प्रमुख वशिषताएँ:

- समाचार मीडिया की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने पर केंद्रित कदम।
- इंटरनेट कंपनियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये तंत्र।
- संवर्द्धित मीडिया और सूचना साक्षरता (MIL) कषमताएँ जो लोगों को पहचानने और मूल्यवर्द्धन में सकषम बनाने के साथ-साथ पत्रकारिता को सार्वजनिक हति के रूप में महत्त्वपूर्ण बनाती हैं।

वशिव प्रेस सम्मलेन 2021:

- वर्ष 2021 के वैश्विक सम्मलेन की मेज़बानी यूनेस्को और नामीबिया सरकार द्वारा की गई थी।
- COVID-19 महामारी के कारण यह सम्मलेन दुनिया भर में स्थानीय समाचार मीडिया द्वारा जोखिम संभावति मुद्दों की ओर तत्काल ध्यान आकर्षित करेगा।
- इस आयोजन में उन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो हमारे ऑनलाइन मीडिया पर्यावरण की चुनौतियों से नपिटने, इंटरनेट कंपनियों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिये, पत्रकारों की सुरक्षा को मज़बूत करने और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार करने हेतु की जा रही है।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता

- प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा सपष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन यह संवधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है - "सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्तकी स्वतंत्रता का अधिकार होगा।"
- वर्ष 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नीव प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है।
- हालाँकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमति नहीं होती है। कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल उन प्रतबंधों को लागू कर सकता है, जो अनुच्छेद 19 (2) के तहत इस प्रकार हैं-
 - भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या अपराध को प्रोत्साहन।
- संबंधित रैकगि / परगाम:
 - हाल ही में जारी 180 देशों के 'वशिव प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' (World Press Freedom Index) 2021 में भारत 142वें स्थान पर है। यह 'रिपोर्टरस सेन्स फ्रंटियर्स' (RSF) या 'रिपोर्टरस वडिउट बॉर्डर्स' द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है।
 - फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 (अमेरिका आधारित 'फ्रीडम हाउस'), मानवाधिकार रिपोर्ट 2020 (अमेरिकी राज्य

वर्भाग), [ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल](#) (स्वीडन के वैरायटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी) जैसी सभी रपिर्टों में **भारत** में पत्रकारों को डराने-धमकाने पर प्रकाश डाला गया है ।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/world-press-freedom-day-2021>

